प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 29.06.2024

थाना साहिबाबाद पुलिस टीम द्वारा 60 वर्षीय महिला की हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुए हत्या के अभियोग में वांछित अभियुक्त (मृतका का नाती) गिरफ्तार, कब्जे से मृतका के 01 जोड़ी पीली धातु कुण्डल बरामद।

कार्यवाही का विवरण: दिनांक 28.06.2024 को थाना साहिबाबाद पर वादी श्री अशोक कुमार पुत्र श्री राम चन्दर निवासी 382, खारा कुआ चौक अर्थला शिव मन्दिर के पास थाना साहिबाबाद गाजियाबाद द्वारा लिखित तहरीर की दी गयी कि अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादी की माँ के साथ मार पीट करना, कानो के कुण्डल, नाक की नथनी और मंदिर की मूर्ति के पीछे रखे कुछ रुपये लूटना व वादी की माँ की हत्या करने के सम्बन्ध में थाना साहिबाबाद पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया गया। तत्काल घटना के सफल अनावरण हेतु टीमों का गठन कर मैनुअल इनपुट सीसीटीवी फुटेज व मुखबिर की सूचना के आधार पर दिनांक 29.06.2024 को उक्त घटना को कारित करने वाला शातिर अभियुक्त विनोद पुत्र छोटे लाल नि0 गली न0 7 रामनगर अर्थला थाना साहिबाबाद गाजियाबाद मूल पता सिरौरा काजी पो0 महमूदपुर थाना गुन्नौर जनपद संभल उम्र 20 वर्ष को चौकी क्षेत्र हिंडन पुल गाजियाबाद-साहिबाबाद मैन रोड के किनारे से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से मृतका के 01 जोड़ी पीली धातु कुण्डल बरामद हुए। अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ विवरण:

गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त से पूछताछ करने पर बताया कि मैं मूल निवासी जनपद संभल का रहने वाला हूँ तथा मेरे मामा अशोक व भगवान सिंह अर्थला साहिबाबाद में रहते है। करीब 02 महीने पहले मै अशोक पुत्र रामचन्द्र निवासी अर्थला साहिबाबाद गाजियाबाद के घर आया था तथा यही पर अर्थला एक दुकान किराये पर लेकर उसमें चाउमीन, समोसे आदि बनाने का कार्य करता हूँ। मैं ऑनलाइन जूपी लूडो व तीन पत्ती गेम काफी समय से खेलता हूँ जिसमे पिछले 01 वर्ष से काफी रुपये हार भी चुका हूँ मैने किराये पर जो दुकान ली थी उसका भी किराया नही दे पा रहा हूँ। दिनांक 08.06.2024 को जब मैं सुबह अपने मामा अशोक के घर से अपने मामा भगवान सिंह के कमरे पर अर्थला आया जहाँ पर मेरी नानी हरप्यारी, मामा भगवान सिंह के घर पर ही थी तथा मेरे मामा भगवान सिंह के बच्चे अपने ननिहाल गये हुये थे घर पर जब मैं आया तो वहाँ मेरे मामा भगवान सिंह मेरी नानी हरप्यारी व मेरे मामा भगवान सिंह का भतीजा सुमित मौजूद थे। इसके बाद मेरे मामा भगवान सिंह अपने काम पर चले गये। मैं, सुमित और मेरी नानी वही कमरे पर थे। दोपहर के समय मेरे मामा घर पर आये थे तो मेरे मामा भगवान सिंह सुमित को भी अपने साथ काम पर ले कर चले गये थे मैं अपना गेम खेल रहा था गेम मैं काफी पैसे हार गया था मेरे पास पैसे नही बचे थे रुपयों का इंतजाम करने के लिये मैं उनके घर से वापस आ गया था इधर उधर काफी प्रयास करने पर मुझे रुपये नही मिल पाये, तो वापिस करीब 03 बजे फिर मैं अपने मामा भगवान सिंह के घर पर गया वहाँ पर मेरी नानी मौजूद थी और कोई नही था। मैने अपनी नानी से कुछ पैसे माँगे तो मेरी नानी ने मुझे पैसे देने से मना कर दिया। और गुस्सा करने लगी। इस पर मेरी और नानी के बीच हाथापाई

भी हो गयी। और नानी वहां बेड पर गिर गयी। इसके बाद गुस्से में मैने नानी के सीने पर घुटना रखकर नानी के मुँह और गर्दन दबा दी थी। जिससे नानी की मृत्यु हो गयी। उसके बाद नानी के कान के कुण्डल व घर में मन्दिर के पास रखे हुये करीब 2000/- रूपये लेकर वहाँ से मैं चला आया था। उसके बाद मैने किसी को कुछ न बताये साधारण रूप से अपनी दुकान खोल ली थी। पैसे जो लेकर गया तो पैसे मेरे गेम खेलने व आने जाने में खर्च हो गये है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

विनोद पुत्र छोटे लाल नि0 गली न0 7 रामनगर अर्थला थाना साहिबाबाद गाजियाबाद मूल पता सिरौरा काजी पो0 महमूदपुर थाना गुन्नौर जनपद संभल उम्र 20 वर्ष।

बरामदगी का विवरण:-

मृतका के 01 जोडी पीली धातु कुण्डल

गिरफ्तार करने वाली टीम:

थाना साहिबाबाद पुलिस टीम

थाना लिंकरोड पुलिस टीम द्वारा वाहन चोरी करने वाले 02 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 मोटर साइकिल बरामद।

कार्यवाही का विवरण: दिनांक 28.06.2024 को वादी श्री नागेन्द्र सिंह S/0 रतन सिंह ग्राम करहेडा मोहन नगर गाजियाबाद की लिखित तहरीर के आधार पर अज्ञात चोर द्वारा वादी की मोटर साइकिल साहिबाबाद औधोगिक क्षेत्र पारस डेयरी के पास एक कम्पनी साईट 4 गाजियाबाद से पैशन प्रो मोटर साइकिल चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। घटना का सफल अनावरण हेतु टीमों का गठन किया गया। मुखबिर की सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान उक्त घटना में संलिप्त 02 अभियुक्त 1.शिव कुमार पुत्र भरत नि0 किरायेदार मोती के मकान में गली न01 घनश्याम स्कूल के पास झण्डापुर थाना लिंक रोड गाजियाबाद उम्र 23 वर्ष, 2.सत्यवान उर्फ सत्यभान पुत्र महेन्द्र निवासी ग्राम सयगांव थाना चांद जिला भिवाड़ी हरियाणा हाल पता गांव साहिबाबाद उम्र 26 वर्ष को पारस डेयरी से 50 कदम आगे फैक्ट्री एरिया से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से चोरी की मोटर साइकिल बरामद हुई। अभियुक्तों उपरोक्त के विरुध्द आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण अभियुक्तगण उपरोक्त से पूछताछ करने पर बताया कि हम दोनो नशे करने के आदी हैं और हम दोनो ने नशे पूर्ति के लिये यह मोटर साइकिल पैशन प्रो साहिबाबाद औधोगिक क्षेत्र पारस डेयरी से थोडा आगे एक कम्पनी के सामने से चोरी की थी आज हम इसे बेचने के लिये जा रहे थे।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

1. शिव कुमार पुत्र भरत नि0 किरायेदार मोती के मकान में गली न01 घनश्याम स्कूल के पास झण्डापुर थाना लिंक रोड गाजियाबाद उम्र 23 वर्ष
2. सत्यवान उर्फ सत्यभान पुत्र महेन्द्र नि0 सयगांव थाना चांद जिला भिवाड़ी हरियाणा हाल पता गांव साहिबाबाद उम्र 26 वर्ष

बरामदगी का विवरण: -

- चोरी की 01 मोटर साइकिल बरामद।

अभियुक्तगण उपरोक्त का आपराधिक इतिहासः

- अभियुक्त शिव कुमार उपरोक्त के विरुध्द थाना लिंकरोड पर चोरी के 02 अभियोग पंजीकृत है।
- अभियुक्त सत्यवान उपरोक्त के विरुध्द थाना लिंकरोड पर चोरी का 01 अभियोग, लूट का 01 अभियोग, हत्या के प्रयास का 01 अभियोग, आयुध अधिनियम का 01 अभियोग व गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम का 01 अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीमः

थाना लिंकरोड पुलिस टीम।

थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा अवैध रूप से पशु (भैस) कटान करने वाले 03 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त बड़ा छुरा, छोटी छुरी, लोहे का दाव, नुकीली रेती गोल बरामद।

आज दिनांक 29.06.2024 को थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर अवैध रूप से पशु (भैस) का कटान करने वाले 03 अभियुक्तों 1. सलमान उम्र करीब 32 वर्ष पुत्र सरफुद्दीन नि0 गली न0 7 मलिक नगर कस्बा व थाना मुरादनगर गाजियाबाद 2. गुलजार उम्र करीब 44 वर्ष पुत्र सरफुद्दीन नि0 मलिक नगर गली न0 8 कस्बा व थाना मुरादनगर गाजियाबाद 3. शाहनबाज उम्र करीब 30 वर्ष पुत्र मेहरबान नि0 छोटा बिजली घर काली मस्जिद के पास मुरादनगर गाजियाबाद को मलिक नगर गली नं0 8 से गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से बड़ा छुरा, छोटी छुरी, लोहे का दाव, नुकीली रेती गोल तथा 02 भैस के कटे हुए हिस्से व मांस बरामद हुआ। अभियुक्तों के विरुद्ध पशु क्रूरता अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण

पूछताछ के दौरान तीनों अभियुक्तों ने बताया कि बाजार में पैसे कमाने के लिए हम तीनों ने 02 भैस पशुओं को गली में बांधकर क्रूरता पूर्वक छुरा व छुरी से अवैध पशु (भैस) कटान कर रहे थे तभी आपने पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम/पता

1.सलमान उम्र करीब 32 वर्ष पुत्र सरफुद्दीन नि0 गली न0 7 मलिक नगर कस्बा व थाना मुरादनगर गाजियाबाद
2.गुलजार उम्र करीब 44 वर्ष पुत्र सरफुद्दीन नि0 मलिक नगर गली न0 8 कस्बा व थाना मुरादनगर गाजियाबाद
3.शाहनबाज उम्र करीब 30 वर्ष पुत्र मेहरबान नि0 छोटा बिजली घर काली मस्जिद के पास मुरादनगर गाजियाबाद

अपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

अभियुक्त शाहनबाज उपरोक्त के विरुद्ध थाना मुरादनगर पर गौकशी का 01 अभियोग व पशु क्रूरता अधिनियम का 01 अभियोग पंजीकृत हैं तथा अभियुक्त गुलजार व सलमान उपरोक्त के विरुद्ध पशु क्रूरता अधिनियम का 01 अभियोग पंजीकृत है।

बरामदगी का विवरण

अवैध रूप से पशुओं (भैस) के कटान में प्रयुक्त बड़ा छुरा, छोटी छुरी, लोहे का दाव, नुकीली रेती गोल तथा 02 भैस के कटे हुए हिस्से व मांस बरामद हुआ।

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली टीम-

थाना मुरादनगर पुलिस टीम

थाना इंदिरापुरम पुलिस टीम द्वारा वाहन चोरी करने वाला 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 मोटर साइकिल बरामद।

कार्यवाही का विवरणः दिनांक 28.06.2024 को थाना इंदिरापुरम पुलिस टीम द्वारा गश्त/ चेकिंग के दौरान एक मोटरसाइकिल स्पलैंडर सीज की गयी थी जिसके सम्बन्ध मे जांच उपरान्त पाया गया की उक्त मोटर साइकिल को दिनांक 23.06.2024 को अज्ञात व्यक्ति द्वारा चोरी कर लेने के सम्बन्ध मे वादी श्री जितेन्द्र पुत्र छतरपाल निवासी प्रहलादगढी वसुन्धरा द्वारा अभियोग पंजीकृत कराया गया था जिसके उपरान्त उक्त मोटर साइकिल को चोरी करने वाले अभियुक्त अतुल चौधरी पुत्र राजबहादुर निवासी बीपी सिंह के मकान मे किरायेदार ग्राम प्रहलादगढी गाजियाबाद उम्र 37 स्थायी निवासी ग्राम जसराना थाना सहासनी जिला हाथरस को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त उपरोक्त के विरुध्द आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण –

अभियुक्त से पूछताछ की गयी तो अभियुक्त द्वारा बताया गया की उक्त मोटर साइकिल को मेरे द्वारा कुछ दिन पहले ही चोरी कि गयी थी। जिसको मे राह चलते व्यक्तियों को सस्ते दामों में बेचने की फिराक में था और जो रुपये मिलते है उसी से अपना व अपने परिवार वालों का खर्चा चलाता।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त

अतुल चौधरी पुत्र राजबहादुर निवासी बीपी सिंह के मकान मे किरायेदार ग्राम प्रहलादगढी गाजियाबाद उम्र 37 स्थायी निवासी ग्राम जसराना थाना सहासनी जिला हाथरस

बरामदगी का विवरणः

- मोटर साइकिल स्पलैंडर प्लस

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः

थाना इंदिरापुरम पुलिस टीम

थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा पुलिस मुठभेड के दौरान एक शातिर बदमाश घायल जिसकी इलाज के दौरान अस्पताल में मृत्यु होना तथा 01 अदद पिस्टल 7.65 एम.एम. की बरामदगी

दिनांक 28.06.2024 को डाबर तालाब मौहल्ले (थाना लोनी तथा अंकुर विहार का सीमावर्ती क्षेत्र) में दिल्ली पुलिस की एक टीम द्वारा एक वांछित अभियुक्त सोहेल उर्फ मन्नू पुत्र इरषाद उर्फ भालू की गिरफ्तारी की जा रही थी, जिसके दौरान

अभियुक्त के भतीजे रिहान पुत्र इमरान ने पुलिस टीम को पिस्टल दिखाते हुए फायरिंग की तथा पुलिस टीम को अभियुक्त को छोडकर जाना पडा। इसकी सूचना तत्काल मौके पर उपस्थित चीता द्वारा वायरलेस सेट के माध्यम से थाना लोनी को दी गयी। क्षेत्र में उपस्थित थाना लोनी की टीम एक उ0नि0 तथा 04 मुख्य आरक्षी के साथ तत्काल मौके पर पहुची। भीड को हटाते हुए सूचना के आधार पर पुलिस टीम अभियुक्त मन्नू के घर के पास पहुची। पास के मकान की छत से नीचे उतरते समय अभियुक्तो द्वारा फायरिंग की गयी जिससे मुख्य आरक्षी विजय राठी के दाहिने कन्धे में गोली लग गयी। आत्मरक्षार्थ तथा गिरफ्तारी के उददेष्य से पुलिस टीम द्वारा भी फायर किया गया तथा दोनो बदमाश छत की तरफ से भाग कर पास के एक मकान में घुस गये तथा मकान के अन्दर से भी फायरिग की। जवाबी कार्यवाही में पुलिस टीम भी फायरिंग करते हुए अन्दर घुस गयी। इसी दौरान अभियुक्त सोहेल उर्फ मन्नू सीढीयो के रास्ते फरार हो गया, और अभियुक्त रिहान जोकि अपनी पिस्टल से चली गोली जांघ में लगने से घायल होने के पष्चात गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार किये गये घायल अभियुक्त को उपचार हेतु तत्काल अस्पताल भेजा गया जिसके पष्चात हायर सेन्टर रेफर किया गया, जहा पर इलाज के दौरान अभियुक्त की मृत्यु हो गयी। चिकित्सीय पैनल के द्वारा पोस्टमार्टम हेतु विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

घायल मुख्य आरक्षी विजय राठी को तत्काल अस्पताल पहुचाया गया जहा वो उपचाराधीन हैं।

अभि0 गणो का विवरण

अभियुक्तगण एक षातिर किस्म के अपराधी है। इनके तथा इनके परिवार के तमाम सदस्यो के विरूद्व थाना लोनी एंव अन्य थानो पर विभिन्न धाराओं में कई मुकदमें पंजीकृत है। अभि0 गण लोगो के डराने धमकाने के लिए अपने पास अवैध अस्लाह रखते है। अभि0 गणो को कई बार गिरफ्तार कर थाना लोनी से जेल भेजा जा चुका है।

अभियुक्त रिहान का आपराधिक इतिहास

1मु0अ0सं0 256/2023 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना लोनी गाजियाबाद

2मु0अ0सं0 979/23 धारा 386/323/504/506 भादवि थाना लोनी गाजियाबाद

3मु0अ0सं0 130/24 धारा 323/504/506 भादवि गाजियाबाद

4मु0अ0सं0 101/2024 धारा 341/307/504/506/34 भादवि 3/25 आयुध अधि0 थाना लोनी गाजियाबाद

5मु0अ0स0 373/2024 धारा 307 भादवि व 3/25/27 आयुध अधि0 थाना लोनी गा0बाद

अभियुक्त सोहेल उर्फ मन्नू का आपराधिक इतिहास

1मु0अ0सं0 377/2021 धारा 379 भादवि थाना पानीपत सदर हरियाणा

2मु0अ0सं0 295/2023 धारा 392/411 भादवि थाना खेकडा बागपत

3मु0अ0सं0 424/24 धारा 414 भादवि थाना खेकडा बागपत

4मु0अ0सं0 623/22 धारा 379/411 भादवि थाना सैक्टर 39 गौतमबुद्धनगर

5मु0अ0सं0 454/18 धारा 392 भादवि थाना लोनी गाजियाबाद

6मु0अ0सं0 455/18 धारा 392 भादवि थाना लोनी गाजियाबाद

7मु0अ0सं0 979/23 धारा 386/323/504/506 भादवि थाना लोनी गाजियाबाद

8मु0अ0सं0 795/22 414/411 भादवि थाना लोनी बार्डर गाजियाबाद

9मु0अ0सं0 796/22 धारा 4/25 आयुध अधि0 थाना लोनी बार्डर गाजियाबाद

10मु0अ0स0 405/22 धारा 392/411/507 भादवि थाना लोनी बार्डर गाजियाबाद

11.मु0अ0स0 145/23 धारा 323/498ए/506 भादवि थाना अंकुर विहार।

12. मु0अ0स0 88/2020 धारा 323/504/506 भादवि थाना लोनी।

13. मु0अ0स0 130/2024 धारा 323/504/506/120बी भादवि थाना लोनी।

14. मु0अ0स0 942/2022 धारा 147/308/323/325/452/504/506 भादवि थाना लोनी।

15. मु0अ0स0 1158/21 धारा 323/324/427/504/506 भादवि थाना लोनी

16. मु0अ0स0 2515/2018 धारा 307 भादवि थाना लोनी

17. मु0अ0स0 914/2019 धारा 143/145/147/149/151/186/332/
34/341/353 भादवि थाना लोनी बार्डर

18 मु0अ0स0 373/2024 धारा 307 भादवि व 3/25/27 आयुध अधि0 थाना लोनी गा0बाद

परिवार के अन्य सदस्यो का आपराधिक इतिहासः-

1. अभियुक्त सोहेल उर्फ मन्नू के पिता इरषाद उर्फ भालू पर 03 अभियोग पंजीकृत होना ज्ञात हुआ है।
2. अभियुक्त सोहेल उर्फ मन्नू कि माता शबनम पर 05 अभियोग पंजीकृत होना ज्ञात हुआ है तथा वर्तमान में जेल में निरूद्ध है।
3. अभियुक्त रिहान के पिता इमरान पुत्र इरषाद उर्फ भालू पर 07 अभियोग पंजीकृत होना ज्ञात हुआ है।
4. अभियुक्त रिहान के एक अन्य चाचा फिरोज फौजी पुत्र इरषाद उर्फ भालू का पूर्व में दिल्ली पुलिस के साथ मुठभेड में मृत होना ज्ञात हुआ है।
5. अभियुक्त रिहान के अन्य 02 चाचा अफसर व षेरखान पुत्रगण इरषाद उर्फ भालू पर क्रमषः 3 व 4 अभियोग पंजीकृत होना ज्ञात हुआ है।

बरामदगी का विवरण

एक अदद पिस्टल मय 03 जिन्दा कारतूस व 05 खोखा कारतूस